राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4580/2025

जगदीश चन्द्र शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य क्रय–विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड (राजफेड), शेखर भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.09.2025
आदेश की दिनांक : 07.10.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरभी खण्डेलवाल, अभिभाषक

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ लेखाधिकारी राजफेड सहकार भवन, जयपुर के पद से सेवानिवृत हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.10.1982 (अनुलग्नक–1) के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2019 में वरिष्ठ सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को गैस प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया तथा आर.ओ., भरतपुर का अतिरिक्त प्रभार भी अपीलार्थी को सौपा गया। अपीलार्थी के स्थायित्व को देखते हुए, उन्हें उप महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया तथा कारखाना महाप्रबंधक का प्रभार भी सौपा गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.04.2020 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तथा 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत किया गया (अनुलग्नक–4)। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग 300 दिनों के विशेषाधिकार अवकाश (पीएल), ग्रुप लिंक बीमा (जीएलआई), जुलाई 2020 के वेतन का भुगतान करने में विफल रहा। जुलाई–2020 के पीएफ के अंशदान के साथ–साथ अपीलार्थी को 31,000/– रुपये की राशि का चेक,

अपीलार्थी को धोखा दिया गया और आश्चर्य की बात है कि 300 दिनों के विशेषाधिकार अवकाश (पीएल), ग्रुप लिंक बीमा (जीएलआई), जुलाई 2020 के वेतन, जुलाई–2020 के पीएफ के अंशदान के साथ–साथ अपीलार्थी को 31,000/– रुपये की राशि का चेक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना किसी कारण के रोक लिया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के दो साल बाद, जब प्रत्यर्थी विभाग 300 पी.एल. की राशि का भुगतान करने में विफल रहा, तो अपीलार्थी ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया, जहां 300 दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी (पीएल), ग्रुप लिंक इंश्योरेंस (जीएलआई), जुलाई 2020 का वेतन, जुलाई–2020 के पीएफ का योगदान और साथ ही 31,000/– रुपये की राशि का चेक अपीलार्थी को जारी करने से मना कर दिया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 07.09.2020 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया है, लेकिन इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है। अपीलार्थी एक वृद्ध, दुर्दांत एवं प्रताड़ित व्यक्ति है, जिसे 300 दिनों के विशेषाधिकार अवकाश (पीएल) की राशि, ग्रुप लिंक बीमा (जीएलआई), जुलाई 2020 का वेतन, पीएफ अंशदान का भुगतान न करके उसके कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को जुलाई–2020 में 31,000/– रुपये का चेक भी जारी किया गया। अपीलार्थी ने में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 14151/2020 दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी विभाग की मनमानी और अवैध कार्यवाही का विरोध किया गया, जिसमें विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण (300 दिन), समूह लिंक्ड बीमा (जीएलआई), जुलाई 2020 का वेतन, जुलाई 2020 के लिए पीएफ का अंशदान और 31,000/– रुपये का चेक सहित उनकी सेवानिवृत्ति की बकाया राशि रोक दी गई, जबकि वह इसके लिए पूरी तरह से हकदार हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.07.2025 (अनुलग्नक–6) के आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका का निपटारा करते हुए, उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत जयपुर स्थित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ग्रेच्युटी भुगतान हेतु मामला पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2025 (अनुलग्नक–7) और 26.05.2023 (अनुलग्नक–8) के आदेशों द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय पहले ही दिया जा चुका है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 19.08.2025 (अनुलग्नक–9) को प्रत्यर्थी विभाग को विधिक नोटिस दिया गया। अपीलार्थी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष बार–बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सेवानिवृत्ति देय राशि को रोकना

पूरी तरह से अवैध, मनमाना, अनुचित है। अपीलार्थी बकाया राशि का भुगतान न होने के कारण भारी आर्थिक और मानसिक कष्ट झेल रहे हैं। उनकी पत्नी का पेसमेकर ऑपरेशन हो चुका है और वे निरंतर चिकित्सा उपचार ले रही हैं, फिर भी प्रत्यर्थी विभाग सेवानिवृत्ति के पाँच वर्ष से अधिक समय बाद भी उन्हें वैध बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी द्वारा दिये गये विधिक नोटिस पर विचार करे तथा अपीलार्थी के बकाया 300 दिनों के विशेषाधिकार अवकाश समूह लिंक्ड बीमा (जीएलआई), जुलाई 2020 के वेतन, जुलाई 2020 के भविष्य निधि अंशदान और 31,000/– रुपये के चेक को तत्काल प्रभाव से जारी करें, जिसके लिए अपीलार्थी कानूनी रूप से हकदार है एवं इसके अलावा प्रत्यर्थी विभाग को वर्ष 2019–20 और 2020–2021 के लिए एक–एक महीने के वेतन के लिए विशेष भुगतान का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए तथा वर्ष 2019–20 और 2020–2021 के लिए अनुग्रह राशि, दीपावली उपहार का लाभ देने के निर्देश दिये जावे और अन्य बकाया राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिलवायी जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के

लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)